

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

सामान्य निर्वाचन जिला अशोकनगर (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष (07543) 225510, फैक्स 225510

E-Mail - dmashoknagar@nic.in & deoashoknagar@gmail.com

क्रमांक/लो.स./सामा.निर्वा./2019/719.

अशोकनगर, दिनांक 28/02/2019

—: आदेश :—

वीडियों व्यूइंग टीम (VVT)

लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु अशोकनगर जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र 032 अशोकनगर/033 चंदेरी/034 मुंगावली में आदर्श आचरण संहिता (MCC) के उल्लंघनों तथा निर्वाचन व्यय संबंधी वीडियों सर्वेलेन्स टीम (VST), फ्लाइंग स्कॉड टीम (FST) तथा अन्य वीडियों का परीक्षण हेतु अवलोकन करने के लिए विधानसभा वार वीडियों व्यूइंग टीम (VVT) का निम्नानुसार गठन किया जाता है :-

विधानसभा क्षेत्र कं.	दल क्रं.	अधिकारी कर्मचारी का नाम	पदनाम	विभाग
032 अशोकनगर	01	श्रीमति सुधा रानी शर्मा मो. नम्बर 9406969789	सीडीपीओ	महिला एवं बाल विकास (ग्रामीण)
		श्री आशीष तिवारी मो.नं. 9617353575	कम्प्यूटर ऑपरेटर	महिला एवं बाल विकास (ग्रामीण)
033 चंदेरी	01	श्री राजेश तिवारी मो.नं. 9407222760	बी.आर.सी.	शिक्षा विभाग चंदेरी
		श्री नीरज शर्मा मो.नं. 9425381155	कम्प्यूटर ऑपरेटर	हॉस्पिटल
034 मुंगावली	01	श्री एस.वी. वादल मो.नं. 8878388859	एस.ए.डी.ओ.	कृषि विभाग मुंगावली
		श्री देवेन्द्र परिहार मो- 8770798942	सहायक अध्यापक	शा.प्रा.वि. कुमर्रा

वीडियों व्यूइंग टीम (VVT) का निम्नानुसार कार्य करेगी :-

1. सम्बंधित विधानसभा क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग अधिकारी वीडियों व्यूइंग टीम को एक कक्ष तथा कम्प्यूटर, डी.व्ही.डी प्लेयर, टी.व्ही., सी.डी., डीव्हीडी तथा वीडियों अवलोकन के लिए अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायेंगे।
2. टीम समस्त वीडियों सर्वेलेन्स टीम (VST) तथा अन्य स्त्रोंतो से प्राप्त वीडियों रिकार्डिंग को गंभीरता से अवलोकन करेंगे। (सीडी, डीव्हीडी) जिसमें मुख्यतः वह आदर्श आचरण संहिता तथा निर्वाचन व्यय के परिपेक्ष्य में रखेंगे।
3. टीम द्वारा निर्वाचन से सम्बंधित तथा आदर्श आचरण संहिता (MCC) के उल्लंघन से सम्बंधित सीडी को प्रतिदिन देखा जायेगा।

4. टीम व्यय से संबंधित अपनी रिपोर्ट सीडी/डीव्हीडी के साथ अपनी रिपोर्ट संबंधित लेखा टीम (AT) तथा सहायक व्यय प्रेक्षक को अभ्यर्थीवार उसी दिन प्रदान करेंगे।
5. टीम, व्यय से संबंधित रिपोर्ट में सभी वाहनों में नंबर, प्रकार, मंच का आकार, कुर्सियों, सोफों की संख्या, पोस्टर-बैनर का आकार, कटआउट, पेड न्यूज, विज्ञापनों की संख्या इत्यादि डाली जायेगी।
6. टीम, आदर्श आचरण संहिता (MCC) से संबंधित रिपोर्टों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी तथा सामान्य प्रेक्षक को प्रस्तुत करेंगी।
7. वीडियो व्यूइंग टीम (VVT) के प्रशिक्षण की यथासमय व्यवस्था संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नोडल अधिकारी प्रशिक्षण के माध्यम से की जायेगी।
यह आदेश तत्काल से प्रभावशील होगा।


(डॉ. मंजू शर्मा)
कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

अशोकनगर, दिनांक 28/02/2019

पृ.क्रमांक/लो.स./सामा.निर्वा./2019/720
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर एवं रिटर्निंग अधिकारी 04 शिवपुरी-गुना संसदीय क्षेत्र शिवपुरी म0प्र0।
4. पुलिस अधीक्षक जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक जिला शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
7. अपर कलेक्टर जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
9. अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर विधानसभा क्षेत्र 032 अशोकनगर (अजा), 033 चंदेरी एवं 034 मुंगावली की ओर सूचनार्थ।
10. तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी अशोकनगर/मुंगावली/चंदेरी/पिपरई/ईसागढ़/शाढौरा/नईसराय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. सहायक संचालक, जनसंपर्क अधिकारी जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
12. रटेनो-टू-कलेक्टर जिला अशोकनगर की ओर सूचनार्थ।
13. संबंधित श्री की ओर पालनार्थ।


कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)